

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) - योजना का विवरण

1. प्रस्तावना

1.1 भारत सरकार कामगार गरीब की वृद्धावस्था आय सुरक्षा के बारे में बहुत चिन्तित है और उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने तथा समर्थ बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। असंगठित क्षेत्र में कामगारों के बीच दीर्घ जीवन संबंधी जोखिम का समाधान करने तथा उनकी सेवानिवृत्ति के लिए स्वैच्छिक बचत, जो 2011-12 के एनएसएसओ सर्वे के 66वें राउंड के अनुसार 47.29 करोड़ के कुल श्रम बल का 88% बनता है, परंतु जिनके लिए कोई औपचारिक पेंशन प्रावधान नहीं है, हेतु असंगठित क्षेत्र के कामगारों को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने 2010-11 में स्वावलम्बन योजना की शुरुआत की है। तथापि, मुख्य रूप से 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन लाभों की स्पष्टता के अभाव के कारण स्वावलम्बन योजना के तहत कवरेज अपर्याप्त है।

1.2. सरकार ने वर्ष 2015-16 के लिए बजट में समस्त भारतीयों, विशेष रूप से गरीब और शोषित वर्गों के लिए बीमा और पेंशन क्षेत्रों में सार्वभौमिक, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की शुरुआत की घोषणा की थी। इसलिए यह घोषणा की गई है कि सरकार अटल पेंशन योजना (एपीवाई) शुरू करेगी जो कि अंशदान तथा उसकी अवधि के आधार पर पेंशन प्रदान करेगी। अटल पेंशन योजना का असंगठित क्षेत्र के सभी नागरिकों जो पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा संचालित राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में शामिल होते हैं तथा जो किसी सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य नहीं हैं, पर केंद्रित होगी। अटल पेंशन योजना के तहत, अभिदाता अपने अंशदान जो एपीवाई में शामिल होने की आयु के लिए अलग-अलग होगा, के आधार पर 60 वर्ष की आयु में 1000 रुपये प्रति माह, 2000 रुपये प्रति माह, 3000 रुपये प्रति माह, 4000 रुपये प्रति माह का निर्धारित पेंशन प्राप्त करेंगे। एपीवाई में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष है। अतः एपीवाई के तहत अंशदाता द्वारा अंशदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष या अधिक होगी। निर्धारित पेंशन के लाभ की गारंटी सरकार द्वारा दी जाएगी। एपीवाई की शुरुआत 1 जून, 2015 से की जाएगी।

2. एपीवाई के लाभ:

2.1 अभिदाताओं को 1000 रुपये से 5000 रुपये के बीच में निर्धारित पेंशन, यदि वह 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के भीतर शामिल होता है तथा अंशदान करता है। अंशदान स्तर भिन्न होंगे तथा यदि अभिदाता शीघ्र शामिल होता है तो वे कम होंगे तथा देर से शामिल होने पर वे बढ़ जाएंगे।

3. एपीवाई की पात्रता:

3.1 अटल पेंशन योजना (एपीवाई) सभी बैंक खाताधारकों के लिए खुली है। केन्द्र सरकार प्रत्येक पात्र अभिदाता, जो 1 जून, 2015 तथा 31 दिसम्बर, 2015 के बीच की अवधि में एनपीएस में शामिल होते हैं और जो किसी सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य न हों तथा जो आय कर दाता न हों, के खातों में 5 वर्ष की अवधि के लिए, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक, कुल अंशदान का 50% या 1000/- रुपये, जो भी कम हो, का सह-अंशदान करेगी। स्वावलंबन योजना के 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग वाले अभिदाता यदि इस योजना से बाहर निकलने के विकल्प का चयन नहीं करते हैं, तो वे स्वतः एपीवाई में स्थानांतरित हो जाएंगे। तथापि, इस तिथि के बाद योजना चलती रहेगी लेकिन सरकार का सह-अंशदान उपलब्ध नहीं होगा।

4. शामिल होने की आयु तथा अंशदान अवधि:

4.1 एपीवाई में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष है। छोड़ने तथा पेंशन प्रारंभ होने की आयु 60 वर्ष होगी। इस प्रकार, एपीवाई के अंतर्गत अभिदाता द्वारा अंशदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष अथवा उससे अधिक होगी।

5. एपीवाई का फोकस:

5.1 मुख्यतया असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर लक्षित है।

6. नामांकन तथा अभिदाता भुगतान:

6.1 पात्र श्रेणी के अंतर्गत स्वतः नामे सुविधा वाले खातों के सभी बैंक खाताधारक एपीवाई में शामिल हो सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप अंशदान संग्रहण प्रभारों में कमी आयेगी। देरी से भुगतान हेतु दंड से बचने के लिए अभिदाताओं को विनिर्धारित देय तिथियों पर उनके बचत खातों में अपेक्षितशेष राशि रखनी चाहिए। मासिक अंशदान भुगतान हेतु देय तिथियों की गणना पहली अंशदान राशि को जमा करने के आधार पर की जाती है। यह विनिर्दिष्ट अवधि हेतु बार-बार चूककरने के मामले में खाते को पहले बंद किया जा सकता है तथा भारत सरकार के सह-अंशदान, यदि कोई हो, को जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही, योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु उसकी पात्रता के बारे में किसी गलत/झूठी घोषणा, भले ही किसी कारण से हो, करने पर सरकार के समग्र अंशदान को दंडात्मक ब्याज सहित जब्त कर लिया जाएगा। नामांकन हेतु दीर्घावधि में पेंशन अधिकारों तथा पात्रता संबंधित विवादों से बचने के लिए लाभार्थियों, पति-पत्नी तथा नामितियों की पहचान हेतु, आधार मूलभूत केवाईसी दस्तावेज होगा। अभिदाताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे 1000 रुपये - 5000 रुपये तक मासिक पेंशन हेतु विकल्पों तथा नियमित रूप से विनिर्धारित मासिक अंशदान का भुगतान सुनिश्चित करें। संचय चरण के दौरान अभिदाता उपलब्ध मासिक पेंशन राशियों के

अनुरूप पेंशन को घटाने अथवा बढ़ाने का विकल्प दे सकते हैं। तथापि, परिवर्तन (स्विचिंग) विकल्प वर्ष में केवल 1 बार, अप्रैल माह में, प्रदान किया जाएगा। एपीवाई से जुड़ने के उपरांत प्रत्येक अभिदाता को पावती पर्ची प्रदान की जाएगी जिसमें गारंटी शुदा पेंशन राशि, अंशदान भुगतान की देय तिथि, पीआरएएन इत्यादि अनिवार्य रूप से रिकार्ड किया जाएगा।

7. नामांकन एजेंसियां:

7.1 स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत सभी उपस्थिति बिंदु (सेवा प्रदाता) तथा एग्रीगेटर नेशनल पेंशन प्रणाली के ढांचे के माध्यम से अभिदाताओं को नामांकित करेंगे। बैंक पीओपी अथवा एग्रीगेटरों के रूप में परिचालन गतिविधियों हेतु सक्षमकर्ताओं के रूप में बीसी/विद्यमान गैर बैंकिंग एग्रीगेटरों, सूक्ष्म बीमा अभिकर्ताओं, तथा म्युचुअल फंड एजेंटों की सेवाएं ले सकेंगे।

8. एपीवाई का संचालन ढांचा:

8.1 यह भारत सरकार की योजना है जिसका संचालन पेंशन निधि विनियामकीय तथा विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। एपीवाई के अंतर्गत अभिदाताओं के नामांकन के लिए एनपीएस के संस्थागत ढांचे का उपयोग किया जाएगा।

9. एपीवाई का निधियन:

9.1 सरकार (i) अभिदाताओं के लिए निर्धारित पेंशन की गारंटी; (ii) पात्र अभिदाताओं के लिए अभिदाता अंशदान का 50% अथवा 1000 रुपये प्रतिवर्ष, जो भी कम हो, का सह-अंशदान; तथा (iii) एपीवाई में शामिल होने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु अंशदान संग्रहण एजेंसियों को प्रोत्साहन सहित संवर्धन एवं विकास गतिविधियों की प्रतिपूर्ति भी प्रदान करेगी।

10. स्वावलम्बन योजना के विद्यमान अभिदाताओं का एपीवाई में स्थानांतरण

10.1 स्वावलम्बन के विद्यमान अभिदाता, यदि पात्र हो, तो छोड़ने का विकल्प देने पर उन्हें स्वतः ही एपीवाई में स्थानांतरित किया जा सकता है। तथापि, सभी अभिदाताओं हेतु एपीवाई के अंतर्गत पांच वर्षों के लिए सरकार के सह-अंशदान का लाभ 5 वर्ष से अधिक

नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि यदि स्वावलम्बन लाभार्थी के रूप में उसने सरकारी सह-अंशदान का 1 वर्ष का लाभ प्राप्त कर लिया है तो एपीवाई के अंतर्गत उसे सरकारी सह-अंशदान का लाभ केवल 4 वर्षों के लिए मिलेगा तथा इस प्रकार होगा। विद्यमान स्वावलम्बन लाभार्थी जो कि प्रस्तावित एपीवाई छोड़ने का विकल्प देते हैं उन्हें उनके पात्र होने पर सरकारी सह-अंशदान 2016-17 तक दिया जाएगा तथा एनपीएस स्वावलम्बन तब तक चलेगी जब तक ऐसे लोग योजना के अंतर्गत उसे छोड़ने हेतु आयु पूरी कर लेते हैं।

10.2 18-40 वर्ष की आयु के बीच के स्वावलम्बन के विद्यमान अभिदाताओं को एपीवाई में स्वतः स्थानांतरित कर दिया जाएगा। नई योजना में झंझट रहित स्थानांतरण हेतु संबद्ध एग्रीग्रेटर ऐसे अभिदाताओं की स्थानांतरण प्रक्रिया को पूरा करने हेतु सुकर बनाएंगे। अपने स्वावलम्बन खाते को एपीवाई में शिफ्ट करने हेतु ऐसे अभिदाता अपने पीआरएएन विवरणों के साथ नजदीकी प्राधिकृत बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं।

10.3 वे स्वावलम्बन अभिदाता जो कि 40 वर्ष से अधिक आयु के हैं और योजना को बरकरार नहीं रखना चाहते हैं, एक मुश्त रूप में समग्र राशि का आहरण कर सकते हैं अथवा उसके अंतर्गत वार्षिकियों हेतु पात्र बनने के लिए 60 वर्षों तक चालू रखने को कह/आवेदन कर सकते हैं।

11. चूक हेतु दंड

11.1 एपीवाई के अंतर्गत, व्यक्तिगत अभिदाताओं के पास मासिक आधार पर अंशदान देने का विकल्प होगा। देर से हुए भुगतानों हेतु बैंकों को अतिरिक्त राशि संग्रह करवाना अपेक्षित होता है। ऐसी राशि न्यूनतम 1 रुपये प्रतिमाह से 10 रुपये प्रतिमाह के बीच होती है जैसाकि नीचे दर्शाया गया है।

* 100 रुपये प्रतिमाह के अंशदान हेतु	1 रुपये प्रतिमाह
* 101 रुपये से 500 रुपये	2 रुपये प्रतिमाह
* 501 रुपये से 1000 रुपये	5 रुपये प्रतिमाह
* 1001 रुपये से ज्यादा	10 रुपये प्रतिमाह

ब्याज/दंड की निर्धारित राशि अभिदाता के पेंशन कारपस का भाग बनेगी।

11.2 अंशदान राशि के भुगतान को अवरुद्ध करने से निम्नलिखित होगा :

- * 6 माह बाद खाता फ्रीज कर दिया जाएगा।
- * 12 माह बाद खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
- * 24 माह बाद खाता बंद कर दिया जाएगा।

12. देरी से किए गए भुगतानों हेतु अतिरिक्त राशि प्रभारित करना

12.1 एपीवाई माड्यूल में देय तिथि पर मांग होगी तथा अभिदाता के खाते से राशि वसूल हो जाने तक मांग बनी रहेगी।

12.2 कैलेण्डर माह में प्रत्येक अभिदाता हेतु मासिक अंशदान की वसूली हेतु देय तिथि को पहला दिन/अथवा अन्य दिन माना जाएगा। बैंक राशि को महीने के अंतिम दिन तक किसी भी दिन वसूल कर सकेगा। इसका अर्थ यह होगा कि माह के दौरान किसी भी दिन निधियां उपलब्ध होते ही अंशदान की वसूली की जाएगी।

12.3 मासिक अंशदान राशि की वसूली एफआईएफओ आधार पर की जाएगी- उक्त प्रभारों की निर्धारित राशि के साथ ही सबसे पहले देय किश्त की वसूली की जाएगी।

12.4 निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन एक मास में एक मासिक अंशदान से अधिक किश्त वसूल की जा सकती है। मासिक अंशदान को मासिक निर्धारित प्रभारों के साथ, यदि कोई हो, वसूल किया जाएगा। सभी मामलों में अंशदान को निर्धारित प्रभारों के साथ वसूल किया जाना होता है। यह बैंक की आंतरिक प्रक्रिया होगी। देय राशि खाते में निधियों की उपलब्धता होते ही वसूल की जाएगी।

13. एपीवाई के अंतर्गत अंशदानों का निवेश

13.1 एपीवाई के अंतर्गत संग्रहित राशि का प्रबंधन सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट निवेश पैटर्न के अनुसार पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त पेंशन निधियों द्वारा किया जाएगा।

14. अभिदाताओं को सतत सूचना एलर्ट

14.1 एपीवाई अभिदाताओं को उनके खाते में शेष राशि, अंशदान जमा इत्यादि के संबंध में आवधिक सूचना एसएमएस एलर्ट के माध्यम से सूचित की जाएगी। अभिदाताओं को जब कभी अपेक्षित हो गैर-वित्तीय विवरण जैसे नामिती का नाम, पता, टेलीफोन संख्या इत्यादि को बदलने का विकल्प होता है।

14.2 एपीवाई के अंतर्गत सभी अभिदाता अपने मोबाइल से जुड़े रहते हैं ताकि उनका अभिदान करते समय, उनके खातों का स्वतः नामित तथा उनके खातों की शेष राशि के एसएमएस एलर्ट उपलब्ध कराए जा सकें।

15. छोड़ना तथा पेंशन भुगतान

15.1 60 वर्ष पूरा करने के उपरांत अभिदाता गारंटीशुदा मासिक पेंशन आहरित करने हेतु संबद्ध बैंक को अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

15.2 60 वर्ष की आयु से पहले छोड़ने की अनुमति नहीं है, तथापि, उसकी अनुमति केवल अपवादिक परिस्थितियों, अर्थात् लाभार्थी की मृत्यु अथवा लाइलाज बीमारी होने पर दी जाएगी।

16. शामिल होने की आयु, अंशदान स्तर, निर्धारित मासिक पेंशन तथा अभिदाताओं के नामिति को कारपस राशि लौटाना

अंशदान स्तर, अभिदाताओं तथा उसके पति/पत्नि को निर्धारित मासिक पेंशन तथा अभिदाताओं के नामितियों को कारपस राशि लौटाना तथा अंशदान अवधि संबंधी तालिका नीचे दी गई है। उदाहरणार्थ, 1000 रुपये प्रतिमाह तथा 5000 रुपये के बीच की निर्धारित मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए अभिदाता को, यदि वह 18 वर्ष की आयु में शामिल होता है तो 42 तथा 210 रुपये के बीच, मासिक आधार पर अंशदान करना होगा। उसी निर्धारित पेंशन स्तरों के लिए, यदि अभिदाता 40 वर्ष की आयु में शामिल होता है, तो अंशदान 291 रुपये तथा 1454 रुपये के भीतर होगा।

अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अंशदान स्तर, अभिदाताओं तथा उसके पति/पत्नि को 1000 रुपये प्रतिमाह की निर्धारित मासिक पेंशन तथा अभिदाताओं के नामितियों को कारपस राशि का लौटाना तथा अंशदान अवधि संबंधी तालिका

जुड़ने की आयु	अंशदान के वर्ष	संकेतक अंशदान (रूपये में)	मासिक पेंशन (रूपये में)	अभिदाता तथा उसके पति/पत्नी को मासिक पेंशन (रूपये में)	अभिदाताओं के नामिति को प्राप्त होने वाली मूलनिधि का संकेतिक विवरण (रूपये में)
18	42	42		1,000	1.7 लाख
20	40	50		1,000	1.7 लाख
25	35	76		1,000	1.7 लाख
30	30	116		1,000	1.7 लाख
35	25	181		1,000	1.7 लाख
40	20	291		1,000	1.7 लाख

अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अंशदान स्तर, अभिदाताओं तथा उसके पति/पत्नि को 2000 रुपये प्रतिमाह की निर्धारित मासिक पेंशन तथा अभिदाताओं के नामितियों को कारपस राशि का लौटाना तथा अंशदान अवधि संबंधी तालिका

जुड़ने की आयु	अंशदान के वर्ष	संकेतक अंशदान (रूपये में)	मासिक पेंशन (रूपये में)	अभिदाता तथा उसके पति/पत्नी को मासिक पेंशन (रूपये में)	अभिदाताओं के नामिति को प्राप्त होने वाली मूलनिधि का संकेतिक विवरण (रूपये में)
18	42	84		2,000	3.4 लाख
20	40	100		2,000	3.4 लाख
25	35	151		2,000	3.4 लाख
30	30	231		2,000	3.4 लाख
35	25	362		2,000	3.4 लाख
40	20	582		2,000	3.4 लाख

अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अंशदान स्तर, अभिदाताओं तथा उसके पति/पत्नि को 3000 रुपये प्रतिमाह की निर्धारित मासिक पेंशन तथा अभिदाताओं के नामितियों को कारपस राशि का लौटाना तथा अंशदान अवधि संबंधी तालिका

जुड़ने की आयु	अंशदान के वर्ष	संकेतक अंशदान (रूपये में)	मासिक पेंशन (रूपये में)	अभिदाता तथा उसके पति/पत्नी को मासिक पेंशन (रूपये में)	अभिदाताओं के नामिति को प्राप्त होने वाली मूलनिधि का संकेतिक विवरण (रूपये में)
---------------	----------------	---------------------------	-------------------------	---	---

			(रूपये में)	
18	42	126	3,000	5.1 लाख
20	40	150	3,000	5.1 लाख
25	35	226	3,000	5.1 लाख
30	30	347	3,000	5.1 लाख
35	25	543	3,000	5.1 लाख
40	20	873	3,000	5.1 लाख

अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अंशदान स्तर, अभिदाताओं तथा उसके पति/पत्नि को 4000 रूपये प्रतिमाह की निर्धारित मासिक पेंशन तथा अभिदाताओं के नामितियों को कारपस राशि का लौटाना तथा अंशदान अवधि संबंधी तालिका

जुड़ने की आयु	अंशदान के वर्ष	संकेतक मासिक अंशदान (रूपये में)	अभिदाता तथा उसके पति/पत्नी को मासिक पेंशन (रूपये में)	अभिदाताओं के नामिति को प्राप्त होने वाली मूलनिधि का संकेतिक विवरण (रूपये में)
18	42	168	4,000	6.8 लाख
20	40	198	4,000	6.8 लाख
25	35	301	4,000	6.8 लाख
30	30	462	4,000	6.8 लाख
35	25	722	4,000	6.8 लाख
40	20	1164	4,000	6.8 लाख

अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अंशदान स्तर, अभिदाताओं तथा उसके पति/पत्नि को 5000 रूपये प्रतिमाह की निर्धारित मासिक पेंशन तथा अभिदाताओं के नामितियों को कारपस राशि का लौटाना तथा अंशदान अवधि संबंधी तालिका

जुड़ने की आयु	अंशदान के वर्ष	संकेतक मासिक अंशदान (रूपये में)	अभिदाता तथा उसके पति/पत्नी को मासिक पेंशन (रूपये में)	अभिदाताओं के नामिति को प्राप्त होने वाली मूलनिधि का संकेतिक विवरण (रूपये में)
18	42	210	5,000	8.5 लाख
20	40	248	5,000	8.5 लाख
25	35	376	5,000	8.5 लाख
30	30	577	5,000	8.5 लाख
35	25	902	5,000	8.5 लाख
40	20	1,454	5,000	8.5 लाख



ATAL PENSION YOJANA (APY) - SUBSCRIBER REGISTRATION FORM

(Administered by Pension Fund Regulatory and Development Authority)

To,

The Branch Manager, _____ Bank _____ Branch

Dear Sir/Madam,

I hereby request that an APY account be opened in my name under National Pension System (NPS) as per the particulars given below:

*** Indicates mandatory fields. Please fill the form in English and BLOCK letters**

1. BANK DETAILS:

Bank A/c Number* _____

Bank Name* _____ Bank Branch* _____

2. PERSONAL DETAILS:

Name of Applicant Shri Smt. Kumari

Full Name _____

Date of Birth* | d | d | / | m | m | / | y | y | y | y | | Age | _____ | Mobile No | _____ |

Email ID _____ Aadhaar _____

Married Yes No If married, spouse name is mandatory

Name of Spouse _____ Aadhaar _____

Nominee's Name* _____ Aadhaar _____

Nominee's relationship with the subscriber _____

Additional Details in case nominee is a Minor

Date of Birth* | d | d | / | m | m | / | y | y | y | y | |

Guardian's Name* _____

Whether beneficiary of other statutory social security schemes Yes No

Whether Income Tax Payer Yes No

3. PENSION DETAILS

Pension Amount (Please tick(✓)) * 1000 2000 3000 4000 5000

**Contribution Amount (Monthly)
(in Rs.)
(To be filled by the Bank)**

I hereby authorize the bank to debit my above mentioned bank account till the age of 60 for making payment under APY as applicable based on my age and the Pension Amount selected by me. If the transaction is delayed or not effected at all for insufficient balance, I would not hold the bank responsible. I also undertake to deposit the additional amount together with penalty thereon.

Declaration & Authorization by all subscribers

I meet the prescribed eligibility criteria for assistance under APY and I have read and understood the terms and conditions of the Scheme. I hereby agree to the same and declare that the information furnished by me is true and correct, to the best of my knowledge and belief. I undertake to immediately inform the bank of any change in the above information furnished by me. Further, I do not hold any pre-existing account under NPS. I understand that I shall be fully liable for submission of any false or incorrect information or documents. I have read/been explained and have understood the APY guidelines. I further agree to be bound by the terms and conditions of provision of services under the scheme as approved by PFRDA/Govt. of India.

Date | d | d | / | m | m | / | y | y | y | y | |

Place _____

Signature/Thumb Impression* of Subscriber
(* LTI in case of male and RTI in case of female)

ACKNOWLEDGEMENT - SUBSCRIBER REGISTRATION FOR ATAL PENSION YOJANA (APY)

(To be filled by the Bank)

Name of the Subscriber: _____

PRAN Number _____

Guaranteed Pension Amount _____ Periodicity of Contribution **Monthly**

**Monthly Contribution Amount under APY
(in Rs.)**

Name of the Bank: _____

Bank Branch: _____

Receiving Officer's Name: _____

Date of Receipt of Application: _____

Stamp and Signature of the Bank